कार्यालय जिला पंचायत, सम्भल।

पत्रांक 525 / जि0पं0 / ला0अनु0 / 2018–19 दिनांक 23 / 01 / 2019

मृत पशु शव निस्तारण सार्वजनिक नीलामी सूचना वर्ष 2019–20

समस्त पंजीकृत क्रियाशील एवं जीवित सहकारी समितियों के सभापतियों को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 858 / 33–2–96–57–डब्लू / 91 दिनांक 30.03.1996 एवं समय–समय पर प्रसारित शासनादेशों के अनुसार जिला पंचायत, सम्भल द्वारा जनपद सम्भल के ग्रामीण क्षेत्रों के मृत पशुशव निस्तारण के लाईसेन्स वर्ष 2019–2020 (अवधि– 01.04.19 से 31.03.20 तक) के लिये विकास खण्डवार / न्याय पंचायतवार रायल्टी पर नियमानुसार वृद्धि के साथ देने हेतु खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, सम्भल द्वारा पंजीकृत क्रियाशील एवं जीवित सहकारी समितियों के प्रार्थना पत्र (समिति सम्बन्धी समस्त अभिलेख आदि) दिनांक 11.02.19 समय 05:00 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत, सम्भल (बहजोई) में आमंत्रित किये जाते हैं। समितियों के प्रार्थना पत्रों के परीक्षणोंपरान्त पात्र समितियों को लाईसेन्स दिये जाने हेतु रायल्टी दिनांक 22.02.19 तक जमा की जायेगी। समिति को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्य क्षेत्र का लाईसेन्स / ठेका लेना अनिवार्य होगा।

नियत तिथि तक समितियों के प्रार्थना पत्र एवं रायल्टी धनराशि जमा नहीं करती है तो यह समझा जायेगा कि वह लाईसेन्स / ठेका लेने के लिए इच्छुक नहीं है तथा अवशेष विकास खण्डों की नीलामी बोली पृथक रूप से इस पेशे में पैतृक रूप से सम्बन्धित व्यक्तियों के मध्य दिनांक 25.02.19 को समय 12:00 बजे नीलामी करायी जायेगी, जिसके लिये प्रति न्याय पंचायत ₹ 2,000/- जमानत राशि जमा करनी होगी। उक्त तिथि में नीलाम न होने की दशा में पुनः नीलामी सप्ताह के प्रत्येक बुद्धवार व शनिवार को समय 12:00 बजे की जायेगी। शर्तों एवं अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। यदि कोई समिति जिला पंचायत की बकायेदार है तो बकाया धनराशि जमा करने के उपरान्त ही वर्ष 2019–20 का लाईसेन्स / ठेका दिये जाने पर विचार किया जोयगा। उक्त सूचना बेवसाईट http://sambhal.nic.in पर देखी जा सकती है।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सम्भल।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ / अवलोकनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, सम्भल।
2– जिलाधिकारी महोदय, सम्भल।
3– मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सम्भल।
4– पुलिस अधीक्षक महोदय, सम्भल।
5– समस्त उप जिलाधिकारी, सम्भल।
6– जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, सम्भल।
7– पंजीकृत सहकारी समितियों के समस्त सभापति, जनपद सम्भल को दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सचूनार्थ।
8– समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद सम्भल को कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
9– समस्त कर निरीक्षक / सहायक राजस्व निरीक्षक, जिला पंचायत, सम्भल को इस निर्देश के साथ कि समितियों के सभापतियों से सम्पर्क कर सूचना की एक प्रति उन्हें प्राप्त कराते हुए प्राप्ति रसीद कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10– नीलाम कमेटी, जिला पंचायत, सम्भल को नीलामी के समय उपस्थित रहने हेतु।
11– कार्यालय जिला पंचायत / नाजिर कलैक्ट्रेट, सम्भल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
12– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, सम्भल (बहजोई) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को जनपद की बेवसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
13– विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक समाचार पत्र **"दैनिक जागरण / हिन्दुस्तान / उत्तर केसरी"** बहजोई को इस आशय से कि उपरोक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन शासकीय दर पर (सम्भल अंक) न्यूनतम स्थान प्रिन्ट एवं लघुतम अक्षरों (08 फान्ट में) में कराते हुए प्रकाशनोपरान्त बिल दो प्रतियों में जिला सूचना अधिकारी, सम्भल से दरें प्रमाणित कराकर इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, सम्भल।